म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक /डी– 17–16/2018/14–3 भोपाल,दिनांक: 05 फरवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।

विषय:–"जय किसान फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों Frequently Asked Question (FAQ) के समाधान विषयक।

संदर्भ:–इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक –डी– 17–16/2018/14–3 दिनांक 04 फरवरी, 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 04.02.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के प्रश्न कमांक–3 में मृतक हितग्राहियों के वारिसों के द्वारा दावा प्रस्तुत करने के संबंध में समाधान प्रकिया स्पष्ट की गयी थी। इस संबंध में जिलों द्वारा यह समस्या बतलाई गई है कि गुलाबी फार्म के भाग–1 में मूल सूची के कमांक का कॉलम नहीं है तथा वारिसान को उनके आधार नम्बर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। इससे मूल सूची में उक्त मृतक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोर्टल पर केवल मूल सूची के सरल क्रमांक दर्ज करने पर ही संबंधित मृतक के बैंक/खाते की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

2/ अतः इस प्रकार के आवेदन पत्र को भाग–2 में ही भरा जावे और भाग–2 के अन्य कॉलम में उस मृतक के वारिसान की जानकारी के साथ–साथ वारिसान का आधार एवं मोबाईल नम्बर भी दर्ज करा लिया जाये। शेष कार्यवाही उक्त जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ही संपन्न कराई जावे।

3/ यदि मृतक की जानकारी गुलाबी फार्म के भाग–1 में प्राप्त की गयी है तो आवेदनकर्ता से मूल सूची का सरल कमांक भी प्राप्त कर लिया जाये और मृतक का आधार नम्बर भी प्राप्त कर लिया जाकर उपरोक्तानुसार उक्त जानकारी गुलाबी फार्म के भाग–2 का पेज खोलकर दर्ज की जावे। यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना था तो उसके स्थान पर आवेदनकर्ता के आधार नम्बर को भरा जावे और अन्य कॉलम में इस बावत् जानकारी दर्ज की जावे।

4/ कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

..........2/

पृ0 क्रमांक / डी–17–16 / 2018 / 14–3 भोपाल,दिनांक 05 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सहकारिता विभाग
5. प्रमुख सचिव वित्त सह आयुक्त संस्थागत वित्त संचालनालय, भोपाल ।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, भोपाल ।
7. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
8. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, भोपाल ।
9. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, भोपाल ।
11. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल ।
12. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत– समस्त, को पालनार्थ।

प्रमुख सचिव 5/2/19

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग